50/07

1000Rs

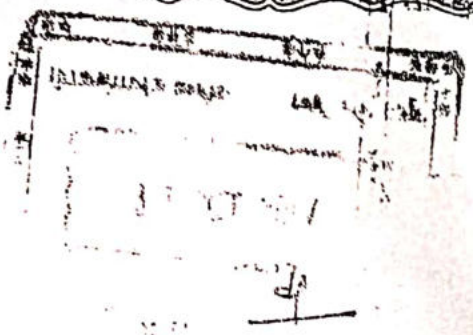

दस्तावेज ट्रस्ट (न्यास)

श्रीमती शशिकला, सत्येन्द्र नाथ, अनिल, सुनील, पुष्पा, किरन व वेद प्रकाश द्वारा ट्रस्ट की स्थापना कर पंजीकरण हेतु प्रस्तुत।

ट्रस्ट का नाम	:	बलदेव श्रीधर महाविद्यालय ट्रस्ट (न्यास) भवरहां, पाण्डेयपुर राधे।
पता	:	भवरहां,
पोस्ट	:	पाण्डेयपुर राधे
थाना	:	बिरना
परगना	:	पचोतर
तहसील व जिला	:	गाजीपुर
मुख्यालय	:	पंजीकृत कार्यालय, बलदेव श्रीधर महाविद्यालय ट्रस्ट, भवरहां, परगना–पचोतर, जनपद–गाजीपुर (उ0प्र0) आवश्यकता अनुसार उपरोक्त मुख्यालय को अन्य उचित जगह समयानुसार स्थानान्तरित किया जा सकेगा।
ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य	:	ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य भिन्न–भिन्न स्थान पर शिक्षण संस्थायें यानी प्राथमिक विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक

क्रमशः——2

सत्येन्द्र नाथ पाण्डेय

1000Rs

विद्यालय व चिकित्सा शिक्षा संस्था आदि की स्थापना कर ग्रामीण अंचल के मध्यम व कमजोर वर्ग के साथ–साथ दलितों को उनके इच्छानुसार शिक्षा मुहैया कराना है। प्रौढ़ शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा व विभिन्न खेलों का देश–प्रदेश के कोने–कोने में प्रकाश फैले, इसके लिये हर संभव उपाय करना/स्थापना करना ट्रस्ट का लक्ष्य है। कम शुल्क में तथा पात्र बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिये ट्रस्ट हर समय प्रयत्नशील रहेगा। ट्रस्ट भूमि भवन व पूँजी की व्यवस्था कर देश–प्रदेश के किसी भी स्थान पर शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करके शिक्षा के माध्यम से निर्बल, मध्यम व दलितों को आत्मनिर्भर कर उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठायेगा।

ट्रस्ट दैवीय आपदा में जिला व राज्य प्रशासन का समय साधन से समय–समय पर आवश्कयतानुसार सहायता करेगा। सरकारी, अर्द्धसरकारी भूमि पर जिला व राज्य प्रशासन से समन्वय स्थापित कर कल्याणकारी योजनाओं का भी संचालन करेगा। किसी निजी भूमि को क्रय–विक्रय करना तथा अवश्यकतानुसार इस ट्रस्ट से संचालित संस्था को लीज (पट्टा) पर देना।

ट्रस्ट की विधिक प्रतिबद्धता : बलदेव श्रीधर महाविद्यालय, ट्रस्ट पंजीकृत अधिनियम 21, 1960 अन्तर्गत भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अन्तर्गत

क्रमशः——3

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BN 523109

ट्रस्ट का स्वरूप

क0सं0	नाम	पता	पद	पेशा
1.	सत्येन्द्र पाण्डेय पुत्र श्री रामाधार पाण्डेय	ग्रा0–अकोल्ही उर्फ, विशुनपुरा,पो0–पाण्डेयपुर, राधे, पर0–पचोतर, जिला–गाजीपुर।	मुख्य संस्थापक ट्रस्टी / मुख्य ट्रस्टी	समाजसेवक
2.	वेद प्रकाश पाण्डेय पुत्र सत्येन्द्र पाण्डेय	ग्रा0–अकोल्ही उर्फ, विशुनपुरा,पो0–पाण्डेयपुर, राधे, पर0–पचोतर,	महासचिव संस्थापक ट्रस्टी	समाजसेवक
3.	अमृत प्रकाश पाण्डेय पुत्र सत्येन्द्रनाथ पाण्डेय	ग्रा0–अकोल्ही उर्फ, विशुनपुरा,पो0–पाण्डेयपुर, राधे, पर0–पचोतर, जिला–गाजीपुर।	सदस्य	अध्ययन
4.	सुनील कुमार पाण्डेय पुत्र स्व0 रामाधार पाण्डेय	ग्रा0–अकोल्ही उर्फ, विशुनपुरा,पो0–पाण्डेयपुर, राधे, पर0–पचोतर, जिला–गाजीपुर।	सदस्य	समाज सेवा

21/11/15

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BN 523110

5.	पुष्पा देवी पुत्री बृजभूषण दूबे पत्नी अनिल कुमार पाण्डेय	ग्रा0–किन्नुपुर, पोस्ट–फतहपुर, जिला–मऊ।		सदस्य	गृहकार्य
6	अमृता पाण्डेय पुत्री सत्येन्द्रनाथ पाण्डेय	ग्रा0–अकोल्ही उर्फ, विशुनपुरा,पो0–पाण्डेयपुर, राधे, पर0–पचोतर, जिला–गाजीपुर।		सदस्य	गृहकार्य
7.	अंजली पाण्डेय पुत्री सत्येन्द्रनाथ पाण्डेय	ग्रा0–अकोल्ही उर्फ, विशुनपुरा,पो0–पाण्डेयपुर, राधे, पर0–पचोतर, जिला–गाजीपुर।		सदस्य	गृहकार्य

500Rs

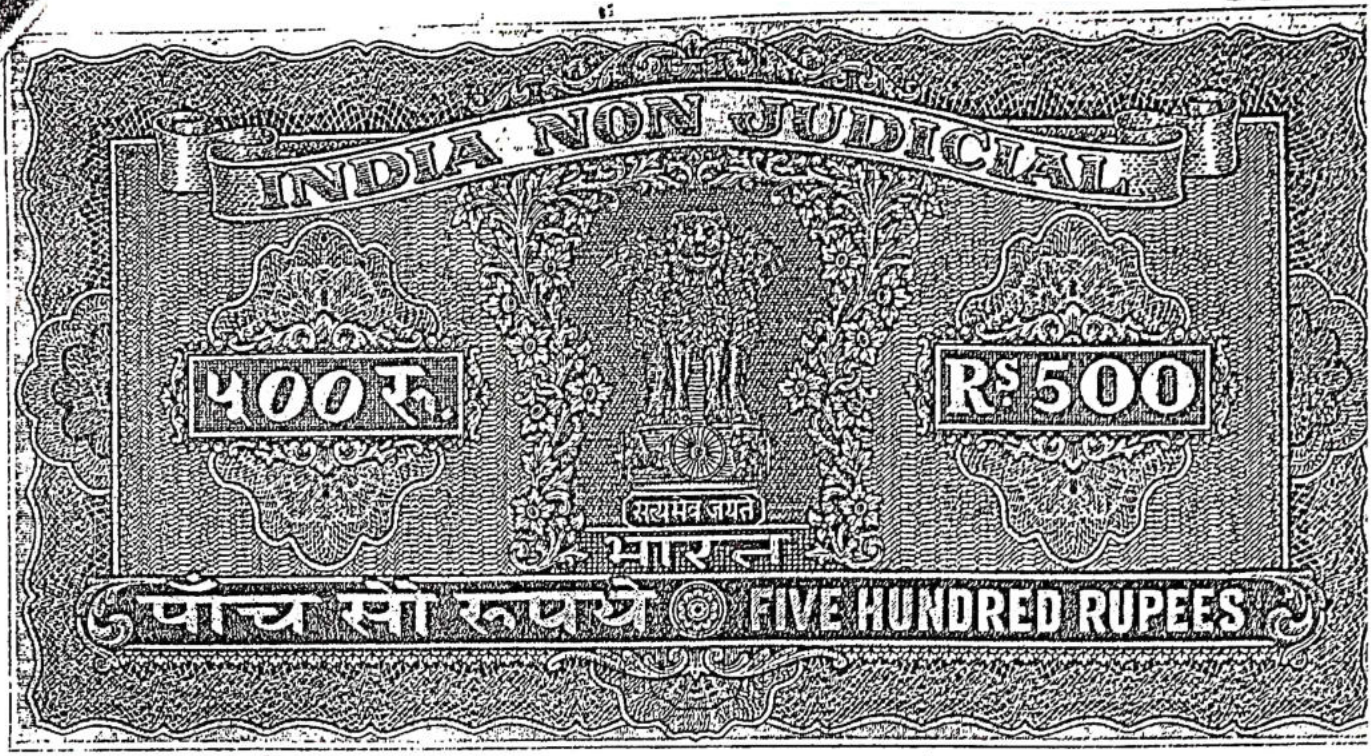

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

67623

पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्त्तव्य :

मुख्य संरक्षक ट्रस्टी :

1. संरक्षक ट्रस्टी (न्यास) के सभी शाखाओं एवं उप शाखाओं तथा जुड़ी हुई संस्था के सदस्यों को आवश्यक निर्देश देगा।
2. संरक्षक द्वारा ट्रस्ट (न्यास) के कार्यहित में लिये जाने वाले निर्णय सर्वमान्य होंगे।
3. संस्था के साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति के सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।
4. किसी भी विचारणीय विषय पर समानगत होने पर एक निर्णायक मत देना।
5. आवश्यक कागजात पर हस्ताक्षर करना एवं कार्यान्वित करना।
6. ट्रस्ट (न्यास) के विकास से संबंधित कार्यक्रमों का परामर्श देना एंव कार्यक्रमों का निर्धारण करना।
7. ट्रस्ट (न्यास) के बाह्य एवं अन्तर्गत नीतियों का निर्धारण करना एंव ट्रस्ट (न्यास) के विकास के लिये तमाम संसाधन इकट्ठा करना व ट्रस्ट (न्यास) के अन्य पदाधिकारियों व सदस्यों को तत्संबंधित कार्यवाही से अवगत कराना, मुख्य संरक्षक ट्रस्टी का कर्त्तव्य होगा।
8. मुख्य संरक्षक ट्रस्टी संस्थाओं के लिये भूमिभवन का क्रय–विक्रय लीज (पट्टा) करना एवं वादों का निस्तारण की पैरवी करेगा।

क्रमशः——5

भारतीय गैर-न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 416945

महासचिव संस्थापक ट्रस्टी :

1. मुख्य संरक्षक ट्रस्टी की अनुपस्थिति में उनके कार्य का संपादन महासचिव संस्थापक ट्रस्टी अपने हस्ताक्षर से करेगा तथा मुख्य संरक्षक ट्रस्टी को अवगत करायेगा।
2. बैठक बुलाना एवं सूचना देना।
3. ट्रस्ट (न्यास) की उन्नति के लिये निर्देश देना।
4. नये सदस्यों के लिये रसीद जारी करना।
5. ट्रस्ट (न्यास) में नये सदस्यों को सदस्य बनाने, निष्कासन करने एवं पदोन्नति आदि का पूर्ण अधिकार सचिव संस्थापक ट्रस्टी को होगा।
6. ट्रस्ट (न्यास) के उन्नति हेतु विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर योजनायें प्रस्तुत करना तथा ट्रस्ट (न्यास) के हित में समस्त प्रकार के कार्यों का संपादन करना।
7. अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार होंगे।
8. ट्रस्ट (न्यास) में नये सदस्यों को सदस्य बनाने के लिये संरक्षक संस्थापक ट्रस्टी एवं महासचिव संस्थापक ट्रस्टी दोनों के सहमति से सुनिश्चित करना तथा सम्पूर्ण सदस्यों को इसकी जानकारी देना।

सदस्य ट्रस्टी :

साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के निर्देश पर बैठकों में भाग लेना एवं ट्रस्ट के सर्वमान्य हित में निर्णय लेना एवं ट्रस्ट की योजनाओं में स्वार्थरहित भाव से सहयोग प्रदान करना।

क्रमशः——6

भारतीय गैर-न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 41694

ट्रस्ट (न्यास) के अंग	:	ट्रस्ट (न्यास) निम्नलिखित दो वर्ग की होगी – 1. साधारण समा 2. प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट
साधारण सभा गठन :		साधारण सभा का गठन ट्रस्ट (न्यास) के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा।
बैठकें :		1. सामान्य बैठकें ट्रस्ट (न्यास) के साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार मार्च माह में होगी। 2. विशेष बैठक आवश्यकता पड़ने पर दो तिहाई सदस्यों की लिखित माँग पर साधारण सभा बुलाई जा सकती है।
सूचना अवधि :		साधारण स्थिति में प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट समिति का महासचिव संस्थापक ट्रस्टी एक सप्ताह पूर्व बैठक की सूचना देकर बैठक बुला सकता है। विशेष परिस्थिति में 24 घंटे की सूचना पर साधारण सभा ट्रस्टियों की बैठक बुलाई जा सकती है।
गणपूर्ति :		बैठक में सदस्यों की गणपूर्ति का कोरम उपस्थित होना आवश्यक है। यह गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 होगी।
विशेष वार्षिक अधिवेशन :		साधारण सभा का विशेष वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार दिसम्बर माह में होगा।
ट्रस्ट के साधारण सभा के कर्त्तव्य :		साधारण सभा ट्रेस्टियों के निम्नलिखित कर्त्तव्य होंगे – अ. वार्षिक आय–व्यय बजट चेक करना।

क्रमशः——7

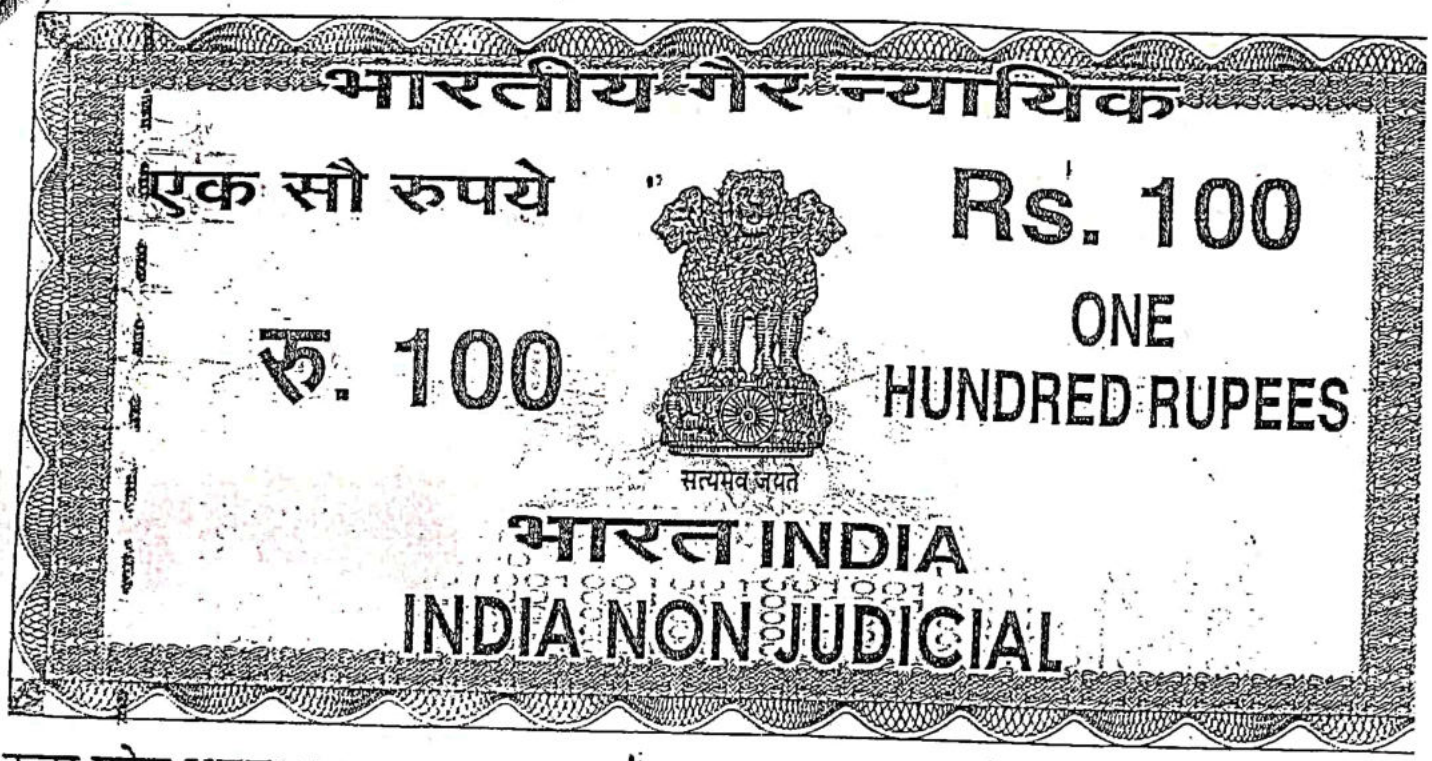

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 416947

ब. ट्रस्ट (न्यास) के विकास हेतु अगले वर्ष के लिये योजना एवं बजट निश्चित करना।

स. प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के अधिकारियों एवं सदस्यों का चयन करना।

द. ट्रस्ट (न्यास) के विकास के लिये समय–समय पर उनके कार्य को करना जो समिति के हित में हो।

ट्रस्ट (न्यास) की प्रबन्धकारिणी समिति :

गठन : साधारण सभा के सदस्यों द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति का गठन किया जायेगा जिसमें एक संरक्षक संस्थापक ट्रस्टी, एक महासचिव संस्थापक ट्रस्टी एवं सदस्य ट्रस्टी चार होंगे।

बैठकें :

सामान्य : सामान्य स्थिति में ट्रस्ट (न्यास) का महासचिव संस्थापक ट्रस्टी, प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी के मुख्य संरक्षक संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति से बैठक बुलायेगा।

विशेष : विशेष बैठक प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी का 2/3 सदस्यों की माँग पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति का महासचिव बुलायेगा।

सूचना अवधि : साधारण स्थिति में प्रबन्धक ट्रस्टी समिति महासचिव संस्थापक ट्रस्टी एक सप्ताह की सूचना पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति की बैठक बुला सकता है। विशेष बैठक के लिये प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति का महासचिव संस्थापक ट्रस्टी 24 घण्टे की सूचना पर बैठक बुला सकता है। सूचना दस्ती अण्डर पोस्टिंग अथवा समाचार पत्र द्वारा दी जा सकती है।

क्रमशः——8

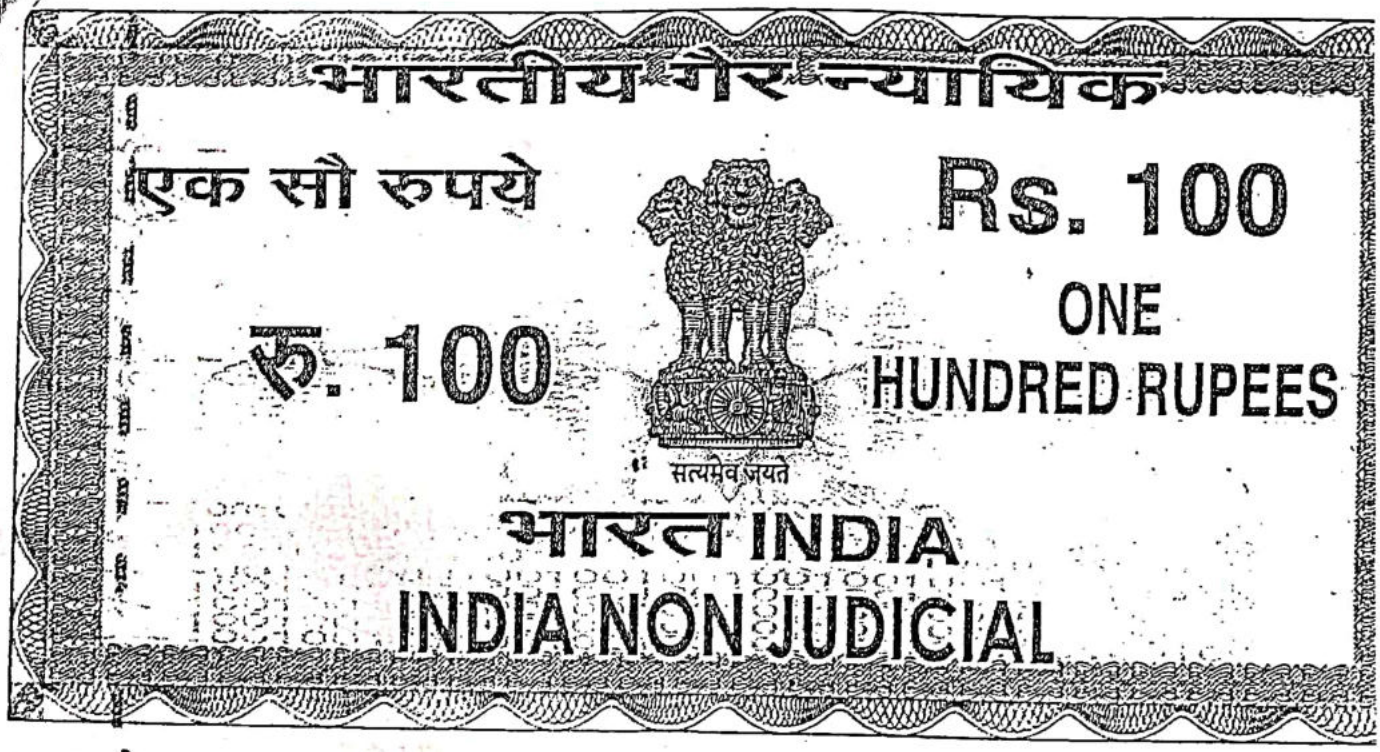

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH E 41694

गणपूर्ति : प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के समस्त बैठकों की गणपूर्ति समिति के सभी सदस्यों के 2/3 उपस्थिति में पूर्ण मानी जायेगी।

रिक्त स्थानों की पूर्ति : यदि कोई सदस्य कार्यालय के अस्वाभाविक निधन या त्याग पत्र या दिवालियापन या पागल हो जाने पर या ट्रस्ट (न्यास) से निष्कासित होने पर उसके स्थान पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी सदस्यों में से सदस्य मनोनीत कर सकता है।

प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के कर्त्तव्य : प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के निम्नलिखित कर्त्तव्य होंगे –

1. बैठक बुलाना अथवा बैठक विसर्जित करना।
2. ट्रस्ट (न्यास) का प्रबन्धन करना अथवा ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित समस्त संस्थाओं का प्रबन्धक करना।
3. ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित कर्मचारियों की नियुक्ति करना।
4. आय–व्यय का ब्यौरा रखना तथा उसे वार्षिक अधिवेशन के समय साधारण ट्रस्टी सभा के सामने प्रस्तुत करना।

21. **ट्रस्ट (न्यास) के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :**

समय–समय परिस्थितियों के अनुसार प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट (न्यास) नियमावली में संशोधन कर सकती है। नियमावली की कटिंग अशुद्धि, संशोधन छूटे हुए शब्द अथवा वाक्य को बनाने का अधिकार प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट (न्यास) को होगा।

22. **ट्रस्ट (न्यास) के कोष :**

ट्रस्ट (न्यास) के उद्देश्य के पूर्ति के लिये कोष की स्थापना की जायेगी जो किसी राष्ट्रीकृत बैंक/डाकघर में रखा जायेगा जिसका संचालन संरक्षक संस्थापक ट्रस्टी, महासचिव संस्थापक ट्रस्टी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

23. **ट्रस्ट (न्यास) के आय–व्यय का लेखा परीक्षण :**

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार किसी भी योग्य ऑडिटर से संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण कराया जायेगा।

क्रमशः——9

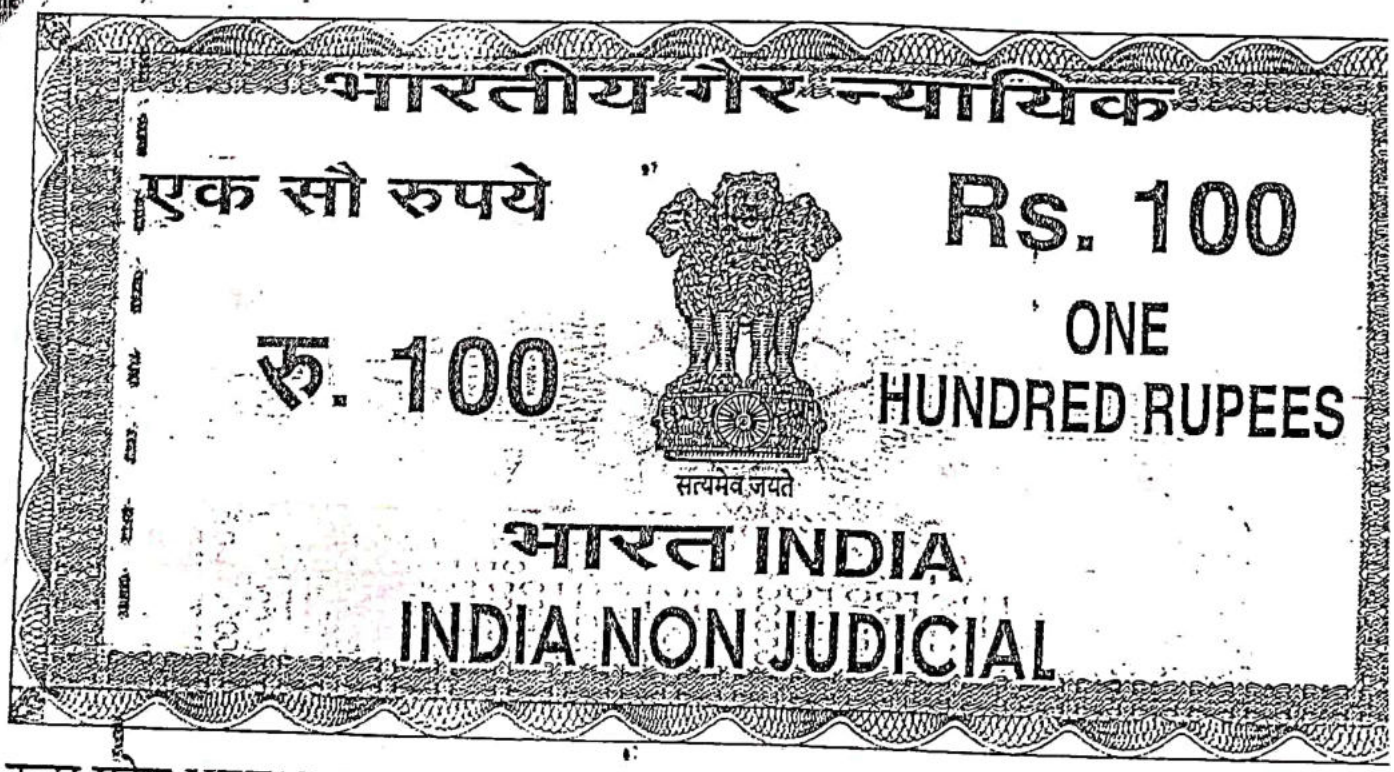

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 41694

24. **ट्रस्ट (न्यास) द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व :** ट्रस्ट (न्यास) द्वारा अथवा उसके विरूद्ध समस्त अदालती कार्यवाही के संचालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति पर होगा जो किसी पदाधिकारी अथवा सदस्य को इस कार्य के निर्मित नियुक्त कर सकती है।

25. **ट्रस्ट (न्यास) के अभिलेख :**
ट्रस्ट (न्यास) के समस्त अभिलेख जैसे सदस्यता रजिस्टर कार्यवाही रजिस्टर स्टॉक रजिस्टर कैश बुक आदि कोषाध्यक्ष संस्थागत ट्रस्टी के पास होंगे।

26. बलदेव श्रीधर महाविद्यालय ट्रस्ट (न्यास) के पास इस सदस्यता शुल्क के माध्यम से 50,000/-(पचास हजार रूपया) प्रारम्भिक कार्य हेतु उपलब्ध है।

27. ट्रस्ट (न्यास) के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही ट्रस्ट (न्यास) के विघटन और विघटित सम्पत्ति की निस्तारण की कार्यवाही इण्डियन ट्रस्ट एक्ट, 1882 के अन्तर्गत की जायेगी।

29ए. हिन्दी, संस्कृत, उर्दू तथा अन्य प्राच्य भाषाओं से प्राइमरी, जूनियर हाईस्कूल, इण्टर कालेज तथा डिग्री कालेज, स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं विधि महाविद्यालय की स्थापना करना व उसका संचालन करना।

29बी. संस्था को आगे बढ़ाने के लिये 12ए, 80जी, 10/23 व 35 एक्ट के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाओं को प्रदान करना।

29सी. सरकार द्वारा चलाई जाने वाली समस्त परियोजना को जनता के हित में संचालित करना एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले तमाम पीड़ित लोगों को लाभान्वित करना आदि।

सत्यनारायण

दिनांक :

मशविराकर्ता [signature]

दस्तखत गवाह :

1. जगन्नाथ सिंह पुत्र स्व. द्वारिका सिंह सा० 53782 पटाना - पचोतर माद्व ...

2. श्री हिमनारायण पुत्र परमात्मा ... ग्राम मेरापुर ... मि०...

भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 32(1) के अन्तर्गत निष्पादनकर्ताओं के [illegible]

नाम निष्पादनकर्ताओं / विक्रेता / क्रेता

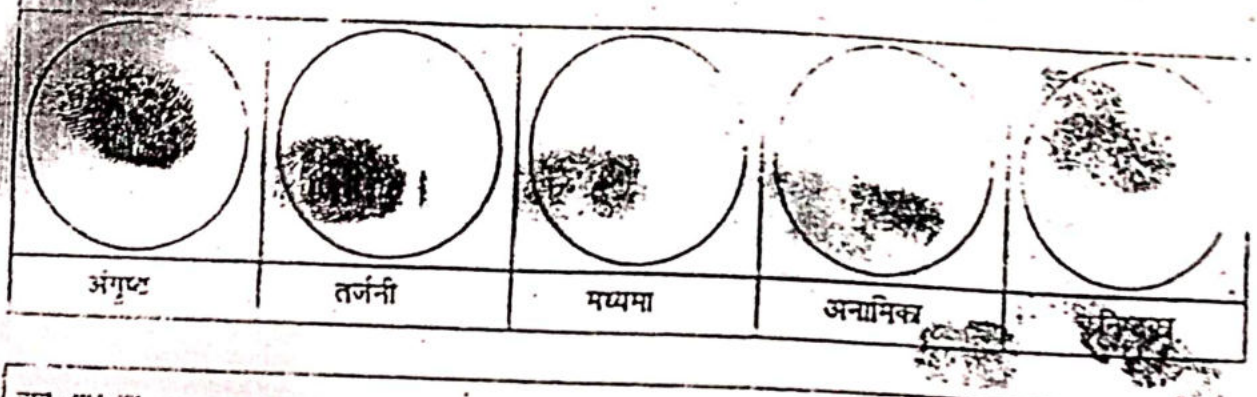

दाहिना हाथ

अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

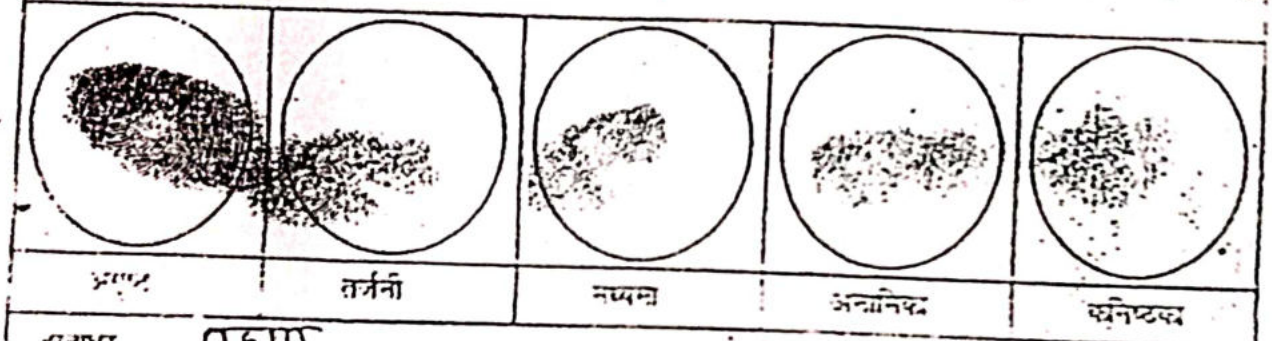

बांया हाथ

अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

हस्ताक्षर पुष्पा

नाम निष्पादनकर्ताओं / विक्रेता / क्रेता

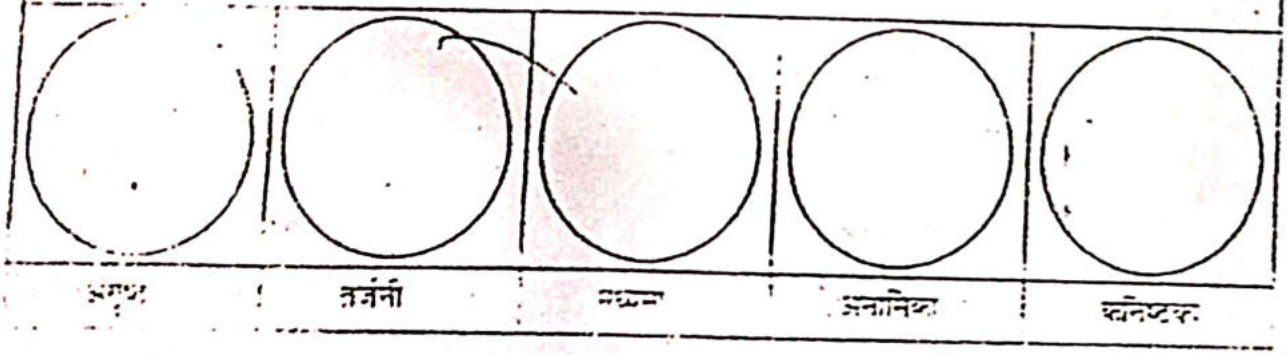

दाहिना हाथ

अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

बांया हाथ

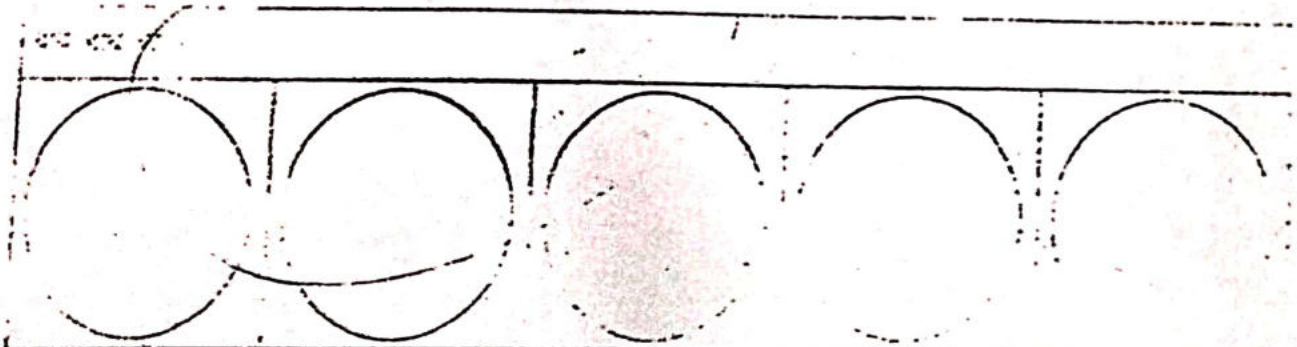

अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

हस्ताक्षर